शुद्धि-पत्र

संख्या-15/2024/211/एक-1-2024-1-1099/38/2024

प्रेषक,

राम रतन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 06 मार्च, 2024

विषयः महिला ध्यान विद्यापीठ सोसाइटी (पंजीकरण संख्या-RENEW 0421003063) द्वारा जिला गौतमबुद्धनगर में जनकल्याण एवं शैक्षणिक कार्यों इत्यादि के लिए बिना अनुमति के विहित सीमा से अधिक क्रय की गयी भूमि के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या-06/2024/147/एक-1-2024-1-1099/38/2024, दिनांकः 01 मार्च, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांकः 01 मार्च, 2024 में त्रुटिवश संस्था का नाम महिला ध्यान विद्यापीठ सोसाइटी टंकित हो गया है, जबकि संस्था का वास्तविक नाम महर्षि ध्यान विद्यापीठ सोसाइटी है |

3- अतः उक्त शासनादेश संख्या-06/2024/147/एक-1-2024-1-1099/38/2024, दिनांकः 01 मार्च, 2024 में जहाँ कहीं भी महिला ध्यान विद्यापीठ सोसाइटी अंकित है, उसे महर्षि ध्यान विद्यापीठ सोसाइटी पढ़ा जाये |

तदनुसार शासनादेश दिनांकः 01 मार्च, 2024 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा |

भवदीय,
राम रतन
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
3. श्री राजीव अरोरा, अध्यक्ष, महर्षि ध्यान विद्यापीठ सोसाइटी (पंजीकरण संख्या- RENEW 0421003063) बाता, बी-ब्लॉक, आरोग्य धाम, महर्षि नगर, नोएडा, जिला- गौतमबुद्धनगर पिन-201304
4. गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in